टी०ए० मिस केस सं० 313/2018-19

दिनांक	आदेश	आपत्ति
18/03/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक चन्द्र मोहन देवगम पिता-स्व0 सामु देवगम, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुफस्सिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- तम्बाडबाँध थाना नं०- 125,के अन्दर खाता नं०- 100प्लॉट नं०- 443 रकबा-- 0.14½ एकड़ भूमि क्रेता कैरी बानरा पिता- स्व0 काटे बानरा ,ग्राम- गाड़ाराजा थाना- मुफस्सिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जॉच प्रतिवेदन पत्रांक--153 दिनांक- 21.02.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धर मरम्मत हेतु रूप्ये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता, कैरी बानरा पिता- स्व0 काटे बानरा ,ग्राम- गाड़ाराजा थाना- मुफस्सिल के पास 6,00,000.00/- (छ: लाख) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफस्सिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता चन्द्र मोहन देवगम पिता-स्व0 सामु देवगम, ग्राम-मतकमहातु, थाना- मुफ्फसिल,क्रेता कैरी बानरा पिता- स्व0 काटे बानरा ,ग्राम- गाड़ाराजा थाना- मुफ्फसिल के पास जमीन को कुल 6,00,000.00/- (छ: लाख) में मौजा- तम्बाडबाँध थाना नं०- 125,के अन्दर खाता नं०- 100प्लॉट नं०- 443 रकवा-- 0.14½एकड़, .जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	